महत्वपूर्ण एवं खास

शासकीय कार्यालयों की कार्य अवधि सबेरे 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक निर्धारित

रायपुर (आरएनएस)। राज्य शासन के समान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर द्वारा मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों तथा समस्त मैदानी कार्यालयों हेतु पूर्व में निर्धारित समय को परिवर्तित करते हुए कार्य अवधि सुबह 10 बजे से सायं 5:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। उल्लेखनीय है कि शासकीय कार्यालयों हेतु माह के द्वितीय एवं तृतीय शनिवार की भांति सभी शनिवार को अवकाश घोषित करते हुए, सप्ताह में 5 कार्य दिवस निर्धारित की गई है। समान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य के सभी संभाग आयुक्तों तथा जिला कलेक्टरों को इस आशय का पत्र जारी किया गया है। पत्र में यह भी उल्लेखित किया गया है कि सभी कार्यालय प्रमुखों की जिम्मेदारी निर्धारित किया जाए कि सभी अधिकारी, कर्मचारी कार्यालय में सुबह 10 बजे उपस्थित होकर शाम 5:30 बजे तक कार्य संपादित करेंगें। उक्त निर्देश का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित अधिकारी, कर्मचारी पर सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

पति के प्रताडऩा से तंग आकर महिला ने खुद को किया आग के हवाले, मौत

रायपुर (आरएनएस)। आंरग थाना क्षेत्र ग्राम लखोली में एक महिला ने पति के प्रताडऩा से दुखी होकर खुद को आग के हवाले कर दिया। जिससे गंभीर रूप से घायल महिला ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दी। मामले में पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है। मृतका सत्या बाई विश्वकर्मा अपनी मायके से वापस लौटी थी तभी उसका अपने पति से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। जिससे आवेश में आकर सत्या ने अपने उपर मिट्टी तेल डालकर आग ली। जिससे उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती किया था जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतिका के मृत्यु के पूर्व बयान ली जिसमें वह अपने पति दुर्गेश विश्वकर्मा पर प्रताडऩा का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

नक्सलियों के किये गये आईईडी विस्फोट में 4 जवान घायल

बीजापुर (आरएनएस)। जिले के थाना मोदकपाल क्षेत्रांतर्गत सीआरपीएफ कैम्प चिन्नाकोड़ेपाल से सीआरपीएफ 153 बटालियन का बल सर्चिंग के लिए आज सुबह रवाना हुये थे। आज दोपहर लगभग 3.00 बजे मुरकीनार मार्ग पर नक्सलियों द्वारा आईईडी विस्फोट किया, जिसमें सीआरपीएफ के 04 जवान डिप्टी कमांडेट पलवान विश्वास, एएसआई सदा शिव यादव, प्रधान आरक्षक राजीव रंजन एवं आरक्षक ओम प्रकाश घायल हो गये। घायल जवानों को उपचार के लिए जिला अस्पताल बीजापुर लाया गया है। इसकी पुष्टि बस्तर आईजी सुंदरराज पी. ने किया है।

अज्ञात शिकारियों ने करंट लगाकर किया तेंदुए का शिकार,शिकारियों की तलाश में जुटी टीम

बिलासपुर(आरएनएस)। बिलासपुर में तेंदुए का शव मिलने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल, उसका शिकार करंट लगाकर शिकार किया गया था। इस बात की जानकारी तब सामने आई है जब डॉक्टरों की पांच सदस्यीय टीम ने तेंदुए के शव का पोस्टमॉर्टम किया। वन विभाग की टीम ने सर्चिंग की, तो ये भी पता चला कि जंगल से एक किलोमीटर दूर बिजली खंभा है, जहां से तार खींचकर करंट में फंसाने की आशंका है। इसके बाद जंगल में ही उसका अंतिम संस्कार किया गया। शिकारियों की तलाश के लिए टीम आसपास के ग्रामीणों से सघन पूछताछ कर जानकारी जुटा रही है।

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का रिकार्ड टूटा : राज्य में समर्थन मूल्य पर खरीदा गया 97.97 लाख मीट्रिक टन धान

- 21 लाख 77 हजार 383 किसानों ने बेचा धान
- राज्य में निर्विघ्न सम्पन्न हुआ धान खरीदी महा अभियान

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने इस साल राज्य में किसानों से समर्थन मूल्य पर 97 लाख 97 हजार 122 मीट्रिक टन धान की खरीदी कर अपने पिछले साल के रिकार्ड को ब्रेक करते हुए एक नया रिकार्ड कायम किया है। राज्य में बीते साल 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। इस साल राज्य में एक दिसम्बर 2021 से शुरू हुआ धान खरीदी का महाअभियान आज 7 फरवरी को सफलता पूर्वक सम्पन्न हो गया। इस साल 21,77,283 किसानों ने समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचा है, जो बीते वर्ष धान बेचने वाले 20,53,600 किसानों की संख्या से 1,23,683 अधिक है। बारदाना संकट और जनवरी माह में बेमौसम बारिश के बावजूद भी राज्य में किसानों से बिना किसी व्यवधान धान खरीदी पूरा होना, अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।

राज्य में धान खरीदी के निर्विघ्न पूरा होने पर किसान संगठनों के पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों ने प्रसन्नता जताई है। बेमौसम बारिश की वजह से धान न बेच पाने वाले किसानों को धान बेचने का मौका दिए जाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा धान खरीदी की निर्धारित अवधि 31 जनवरी को बढ़ाकर 7 फरवरी किए जाने के लिए भी किसानों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। किसान संगठनों के पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों का कहना है कि किसान हितैषी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के किसानों को हर संभव मदद दी है। किसानों के हितों का ख्याल रखा है। उन्होंने धान खरीदी के लिए केन्द्र सरकार से राज्य की मांग के अनुसार बारदाना उपलब्ध न कराए जाने के बावजूद भी राज्य सरकार द्वारा स्थानीय स्तर पर भरपूर बारदाने का इंतजाम एवं केन्द्रों में धान खरीदी की चाक-चौबंद व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी मुख्यमंत्री एवं छत्तीसगढ़ सरकार के प्रति आभार जताया है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी नीतियों के चलते बीते तीन सालों में राज्य में धान उत्पादक कृषकों की संख्या और उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जिसके चलते समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का रिकार्ड साल दर साल टूट रहा है। इस साल 97.97 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का नया रिकार्ड बना है। वर्ष 2021 में 92 लाख मीट्रिक टन धान, वर्ष 2020 में 83.94 लाख मीट्रिक तथा 2019 में 80.37 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। इस साल खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में धान बेचने के लिए कुल 24,06,560 किसानों ने पंजीयन कराया था, जिनके द्वारा बोए गए धान का रकबा 30 लाख 10 हजार 880 हेक्टेयर है। जबकि गत वर्ष पंजीकृत धान का रकबा 27 लाख 92 हजार 827 हेक्टेयर था। यदि एक साल के आंकड़े की ही तुलना की जाए तो धान बेचने के लिए पंजीकृत किसानों की संख्या में लगभग सवा लाख तथा पंजीकृत धान के रकबे में 2 लाख 18 हजार की वृद्धि हुई है।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य देने के साथ ही फसल उत्पादकता एवं फसल विविधिकरण को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना संचालित की जा रही है। इसके चलते राज्य ने खेती किसानी के प्रति किसानों में एक नया उत्साह पैदा हुआ है। खेती से विमुख हो चुके लोग भी अब फिर से खेती की ओर लौटने लगे हैं। जिसके चलते राज्य में किसानों की संख्या, खेती के रकबे और फसल उत्पादकता में लगातार वृद्धि होते जा रही है। साल दर साल समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के आंकड़े इसके प्रमाण हैं।

कार्यालयों में अनुपस्थित 68 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी

- जांजगीर कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व अधिकारियों ने किया विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण
- कार्यालियीन अवधि सुबह 10 बजे से शाम 5.30 बजे तक निर्धारित
- कलेक्टर ने दिए विलंब से आने पर वेतन कटौती के निर्देश

रायपुर (आरएनएस)। राज्य शासन द्वारा शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों-कर्मचारियों की सुबह 10 बजे से शाम 5.30 बजे तक उपस्थिति के संबंध में जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जांजगीर-चांपा जिले में 7 फरवरी को राजस्व अधिकारियों द्वारा जिला कार्यालय सहित विभिन्न कार्यालयों का सुबह 10 बजे से 10.15 बजे तक निरीक्षण किया गया। इस दौरान विभिन्न कार्यालयों में अनुपस्थित 68 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

ज्ञातव्य है कि राज्य सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों की कार्य क्षमता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए पांच कार्य दिवस प्रति सप्ताह प्रणाली लागू की गई है, जिसके तहत कार्यालयों हेतु कार्यावधि सुबह 10 बजे से शाम 5.30 बजे तक निर्धारित की गई है। जांजगीर-चांपा जिले के कलेक्टर श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला ने सभी विभागों के जिला प्रमुख अधिकारियों को पत्र जारी कर राज्य सरकार के आदेश का कड़ाई से पालन करने तथा बिना सूचना अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों-कर्मचाारियों पर नियमानुसार कार्यवाही करने और विलंब से आने पर वेतन कटौती के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सभी कार्यालय प्रमुखों को उपस्थिति पंजी की फोटो पूर्वान्ह 10.15 बजे जिले के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने को भी कहा गया है।

जांजगीर-चांपा के कलेक्टर के निर्देश पर सोमवार 7 फरवरी को अपर कलेक्टर सहित राजस्व अधिकारियों ने जिला कार्यालय व अपने कार्यक्षेत्र के विभिन्न कार्यालयों का पूर्वान्ह 10 बजे से 10.15 बजे तक निरीक्षण किया। अपर कलेक्टर ने जिला कार्यालय की विभिन्न शाखाओं की उपस्थिति पंजी का निरीक्षण किया। कलेक्टर कार्यालय में 129 कर्मचारियों में से 104 उपस्थित मिले, वहीं 14 अनुपस्थित थे। जिनमें से 3 मातृत्व अवकाश, 03 क्षेत्र भ्रमण पर थे। शेष 8 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सक्ती एसडीएम ने भी विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया। सक्ती जनपद कार्यालय में बिना सूचना अनुपस्थित 6 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसी प्रकार चांपा एसडीएम ने भी 5 शासकीय कार्यालयों का निरीक्षण किया। जहां 62 कर्मचारी अनुपस्थित थे। जिनमें 6 अवकाश पर थे, 2 प्रशिक्षण में थे। शेष को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। इसी प्रकार जांजगीर, पामगढ़, डभरा के एसडीएम ने भी विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया।

रिटायर्ड महिला अधिकारी से 99 हजार की ठगी,मामला दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी रायपुर में एक बार फिर ठगों ने वृद्ध महिला को अपना शिकार बनाया है। मोबाइल नंबर पोर्ट होने का झांसा देकर रिटायर्ड महिला अधिकारी से लाखों की ठगी की है। महिला की शिकायत पर तेलीबांधा पुलिस ने केस दर्ज किया है।

मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों ने बीएसएनएल से जियो में पोर्ट होने के बाद वैलेडिटी खत्म होने का झांसा देकर पहले 10 रुपए का भुगतान यूपीआई से करने को कहा। जिसके बाद झांसे में उन्होंने गुगल पे से रिचार्ज किया। इसके बाद ठग ने खाते से दो बार में 50 हजार व 49 हजार कुल 99 हजार रुपए निकाल लिए। खाते से रकम गायब होने का मैसेज आते ही महिला के होश उड़ गए। तुरंत बैंक फोन कर अपना खाता बंद कराया। इसके बाद एफएसएल की रिटायर्ड संयुक्त संचालक डॉ.शेषा सक्सेना ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस ने मोबाइल नंबर के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है।

शादी समारोह से लौट रही टाटा एस वाहन पलटी, 12 घायल

कोरबा (आरएनएस)। शादी समारोह से वापस लौट बारातियों से भरी टाटा एस वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई। वाहन में 14 लोग सवार थे। हादसे में बच्चे समेत एक दर्जन लोग घायल हो गए है। इसमें एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार कटघोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहनपुर आछीदादर के पास घटित हुई। सभी घायलों को 108 व 112 की मदद की मदद से सामुदायिक स्वास्थ केंद्र कटघोरा लाया गया है। बताया जा रहा है कि वाहन में सवार सभी महिलाएं ग्राम भेलवाटिकरा शादी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गई थी और वहां से विजयनगर अपने घर वापस लौट रहे थे। तभी मोहनपुर के पास पुल के समीप वाहन अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद घायलों की चीख-पुकार मच गई। आवाज सुनकर राहगीरों की मदद से सभी घायलों को बाहर निकाला गया और तत्काल अस्पताल के लिए रवाना किया गया। इस हादसे में महिला समेत बच्चे भी घायल है दो महिलाओं के सिर पर गंभीर चोंटे आई है, फिलहाल घायलों का उपचार जारी है। इस मामले में कटघोरा पुलिस का कहना है कि दुर्घटना की शिकायत मिली थी, पर रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई। प्राथमिक उपचार के बाद सभी लोग अपने-अपने घर चले गए। यहां यह बताना लाजिमी होगा कि वैवाहिक कार्यक्रम में चालक निर्धारित क्षमता से ज्यादा सवारी भरते हैं, चूंकि अन्य वैवाहिक कार्यक्रमों की बुकिंग रहती है।

कोरोना संक्रमण के चलते इस बार 10वीं- 12वीं के लिए सात हजार से अधिक बनाए गए परीक्षा केंद्र

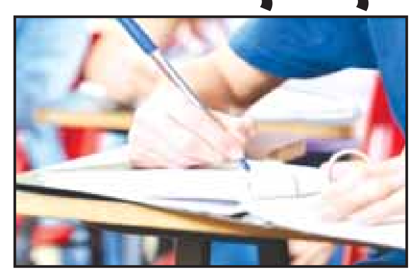

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं- 12वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी पूरी हो गई है। फरवरी के आखिरी सप्ताह में गोपनीय सामग्री वितरित होगी। इसी के साथ ही एडमिट कार्ड भी जारी किए जाएंगे। इस साल सर्वाधिक सात हजार से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। माशिमं के सचिव प्रोफेसर वीके गोयल ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस साल माशिमं ने तीन हजार अधिक केंद्र बनाए हैं। पिछली बार 10वीं- 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए 4,519 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इस साल इन केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 7,600 कर दिया गया है जो कि पिछले साल की तुलना में इस साल 3,018 अधिक है।

प्रोफेसर गोयल ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बच्चों को बचाने के लिए जो बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है वहीं परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इस बार पिछले साल की तुलना में अधिक केंद्र बनाए गए हैं। जल्द ही एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में 10वीं- 12वीं की बोर्ड परीक्षा मार्च से शुरू होगी।

12वीं बोर्ड परीक्षा दो मार्च से 30 मार्च 2022 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय सुबह नौ बजे से दोपहर 12.15 बजे तक होगा। इसी तरह 10वीं की परीक्षा तीन से 23 मार्च 2022 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय सुबह नौ बजे से दोपहर 12.15 बजे तक होगा। इसके लिए अगले सप्ताह में एडमिट कार्ड जारी होंगे। एडमिट कार्ड के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध रहेगी।

मासूम का हत्यारा सात माह बाद पुलिस गिरफ्त में,पड़ोसी ही निकला हत्यारा

राजनांदगांव (आरएनएस)। लालबाग थाना क्षेत्र के ग्राम इंदामरा के 12 वर्षीय देवेश कुमार साहू की हत्या के आरोपी को पुलिस ने आखिरकार 7 माह बाद गिरफ्तार कर जेल में डालने मे बडी सफलता हासिल की। आखिर क्या कुसुर था 12 वर्ष के देवेश का कि उसी के पडोसी ने गला घोटकर हत्या कर दी , और शव को रस्सी से बांध कर तालाब में फेंक दिया था घटना है आज से 07 माह पूर्व 21 जून की जब देवेश के पिता हीरालाल ने लालबाग थाना मे अपने बेटे देवेश की गुमशुदगी दर्ज कराई , जिसके बाद देवेश का शव डोगरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम अछोली के एक तालाब में मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फ़ैल गई , की आखिर देवेश ने ऐसा क्या गुनाह किया की कोई उसकी हत्या हाथ पैर बांध कर तालाब में फेंक देता है , पुलिस हत्या के आरोपी तक 07 - माह तक पहुंच भी नहीं पा रही थी , और आरोपी खुले आम घूम रहा था , लेकिन परिवार के साथ पडोस में रहने वाले आरोपी हीरालाल साहू पर शुरु से ही शक था , साक्ष्य नहीं होने के कारण उसे गिरफतार नहीं किया जा रहा था , आखिरकार , साइंटिफिक तरीके और मोबाईल के टावर लोकेशन के आधार पर पुलिस को आरोपी हीरालाल जो की मत्यस्य विभाग में टाईम कीपर की नौकरी करता है पर शक हुआ और पुलिस का शक सही निकला , और आरोपी पर सख्ती से पूछताक्ष में अपना जुर्म कुबुल कर लिया , आरोपी और देवेश के परिवार के बीच कई बार मामूली विवाद हुआ था वही पैसे के लेन देन की बात सामने आई है , लेकिन परिवार के बीच में विवाद मात्र 12 वर्ष के मासूम को कीमत चुकाना आरोपी की मानसिकता को दर्शाता है। फिलहाल आरोपी हीरालाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

SJU - Contact No. +91 9301915303
E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कुछ सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी साकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य तथा में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करावेगा।

पढ़िए ....
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

राज्य में शुरू हुआ मिशन इंद्रधनुष 4.0, गर्भवती माताओं व बच्चों का होगा टीकाकरण

- 3 चरणों में संचालित होगा यह अभियान

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरूआत हो चुकी है। 7 फरवरी से शुरू हुए इंद्रधनुष मिशन 4.0 का उद्देश्य नियमित टीकाकरण में तेजी लाना है। फिलहाल इसकी शुरूआत राज्य के पांच जिलों से की गई है, जिसमें राज्य का बस्तर, धमतरी, दुर्ग, कांकेर एवं राजनांदगॉव जिला शामिल हैं। कोरोना वैक्सीनेशन की वजह से राज्य में जहां वयस्क आबादी लगभग सुरक्षित हो चुकी है, लेकिन बच्चे अभी भी खतरे में है। टीकाकरण से छूटें बच्चों को टीका लगाने के लिए सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान चलाया जा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित मिशन इंद्रधनुष 4.0 के तहत उक्त पांचों जिलों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं मितानिनों द्वारा गृह भ्रमण कर नियमित टीकाकरण से छूटे बच्चों का चिन्हांकन कर सूची बनाई गई है। अभियान के अंतर्गत जन्म से 2 वर्ष तक के 5 हजार 435 बच्चें एवं 2 हजार 604 गर्भवती माताओं को टीकाकृत किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान के जरिए नियमित टीकाकरण से वंचित बच्चों को टीका लगाया जाएगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के मिशन संचालक सह संचालक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. प्रियंका शुक्ला ने बताया कि यह अभियान राज्य में 3 चरणों में संचालित किया जाएगा, जिसमें प्रथम चरण 7 फरवरी से 13 फरवरी द्वितीय चरण 07 मार्च से 13 मार्च एवं तृतीय चरण 4 अप्रैल से 10 अप्रेल तक संचालित किए जाएंगे। प्रत्येक चरण सात दिवस के होंगे। अभियान में गर्भवती माताओं को भी शामिल किया गया है, जो किन्ही कारणों से टीडी 1, टीडी 2 और बूस्टर टीडी के टीके नहीं लगवा पाई हैं। अभियान के तहत नियमित टीकाकरण से छूटे जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चों को बीसीजी, पोलियो, डिप्थेरिया, टिटनेस, कुकुर खॉसी, हेपेटाइटिस-बी, हिमोफिलियस, इन्फ्लुएंजा-बी, रोटावायरस, निमोनिया, दिमागी बुखार, खसरा, रूबेला, एवं जैपजीन, इन्सेफेलाइटिस के टीके लगाए जा रहे हैं। राज्य में चिन्हित जिलों में प्रथम चरण में 2199 सत्र आयोजित किये जाएंगे, जिससे 5400 से अधिक 02 वर्ष तक के बच्चे एवं 2600 से अधिक गर्भवती माताएं टीकाकृत होंगी। सभी टीकाकरण सत्र जिलों के चिन्हाकित ग्रामों के आंगनबाड़ी केन्द्रों में आयोजित किए जाएंगे।